कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

क्षेत्रीय कार्यालय निधि भवन

सैक्टर ५ जागृति विहार, मेरठ-२५० ००६

संख्या 9880 उ0क्षे0का0/मेरठ/कवरेज/यू0पी0/ 52593 दिनांक 15/11/10 पंजीकृत/पावती

सेवा में,
मै0 Cell Com Teleservices Pvt. Ltd,
A-52, Sikandrabad Industrial Area
Distt - Bulandshahar

विषयः कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 और उसके अन्तर्गत रचित योजनाओं का मैसर्स Cell Com Teleservices Pvt. Ltd. A-52 Sikandrabad Distt- Bulandshahar पर लागू होना

महोदय

आपके द्वारा दिनांक 03-11-10 को प्रेषित विवरण/ आपकी स्थापना का भविष्य निधि निरीक्षक द्वारा दिनांक 01-11-10 को किए गए निरीक्षण के आधार पर स्पष्ट होता है कि:-

(क) मैसर्स Cell Com Teleservices Pvt. Ltd, जो कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 में स्थापनाओं की श्रेणियो/अनुसूची-1 में अधिसूची-1 अधिसूचित Iron & Steel उद्यम में कार्यरत है संस्थान ने दिनांक 01-11-10 को 25 श्रमिक/व्यक्ति कार्यरत पाए गए।

(ख) **कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में उपरोक्त नामित स्थापना, इसके मुख्य कार्यालय और इसकी शाखाओं/विभागों पर, चाहे वे एक स्थान पर हैं अथवा विभिन्न स्थानों पर हैं, दिनांक 01-11-10 से स्थायी/अस्थाई रूप से लागू होता है। अभिलेखों की जाँच अभी की जानी है। आपकी स्थापना को कोड सं0 यू0पी0 52593 आवंटित की जाती है।**
अधिनियम की धारा 1(4) अन्तर्गत स्वैच्छिक आधार पर कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम आपको स्थापना पर लागू करने के लिए आपके पत्र संख्या ______ दिनांक ______ के सन्दर्भ में आपकी स्थापना अर्थात ______ को कोड संख्या यू0पी0 ______ आवंटित किया जा रहा है। अभी आपकी स्थापना को कार्यक्षेत्र में अस्थायी रूप से ______ लाया जा रहा है, जब तक सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा-1 उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भारत सरकार अधिसूचना जारी नही कर देती है।

2. - आपकी स्थापना का कोड नम्बर, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 और उसके अन्तर्गत रचित योजनाओं अर्थात कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 कर्मचारी पेंशन योजना 1995 और निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976 के विभिन्न उपबन्धों के अनुपालन के लिए आवंटित किया गया है। यह कोड नम्बर इस कार्यालय के साथ पत्राचार करते समय अनिवार्य रूप से उद्घृत किया जाना चाहिये।

3. नियोक्ता द्वारा अंशदान, मूल वेतन, मंहगाई भत्ता (किसी भी खाद्य रियायत की नकद सहित) और प्रतिधारण भत्ता यदि कोई है, प्रत्येक कर्मचारी का 12% की दर से प्रतिमाह देय है। कर्मचारी द्वारा देय अंशदान की दर नियोक्ता द्वारा देय अंशदान के समान होगी। यह भविष्य निधि खाता सं0 1 में जमा किया जायेगा। नियोक्ता अंशदान से 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना के खाता संख्या 10 में जमा किया जाना है।
   (अ) अंशदान की संगणना पूरे माह के दौरान मिलने वाले मूल वेतन, मंहगाई भत्ता आदि, चाहे दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक आधार पर की गई हो, की जाएगी।
   (ब) प्रत्येक अंशदान की गणना नजदीकी रुपये में अर्थात् 50 पैसे या अधिक को एक रुपये में तथा 50 पैसे से कम पैसे को छोड़कर की जाएगी।
   (स) अंशदान की संगणना हेतु वेतन को नजदीकी रुपये में अर्थात 50 पैसे या अधिक को एक रुपये में तथा 50 पैसे से कम पैसे को छोड़कर की जाएगी।

4. सदस्य को वेतन देने से पूर्व आपके लिए यह आवश्यक होगा कि आप उसके वेतन से अनिवार्य रूप से अंशदान काटें और अंशदान प्रशासकीय प्रभार की राशि सहित प्रत्येक माह के 15 दिनों से पूर्व भारतीय स्टेट बैंक में निधि के लेखो में सम्बन्धित चालानों द्वारा निम्नलिखित रूप से जमा करायें।-
   (अ) क0 भ0 नि0 अंशदान — क0 भ0 नि0 लेखा सं0 1 में जमा कराया जाए।
   (ब) प्रशासकीय प्रभार — क0 भ0 नि0 लेखा सं0 2 में जमा कराया जाए।
   (स) पेंशन अंशदान — क0 भ0 नि0 लेखा सं0 10 में जमा कराया जाए।

टिप्पणीः (1) प्रशासकीय प्रभार की दर 1.8.98 से वेतन, मूल वेतन, मंहगाई भत्ता जिसमें खाद्य मूल्य किसी प्रकार की रियायत और प्रतिधारण भत्ता, यदि कोई है, का 1.10% है जो न्यूनतम 5 रुपये।
(2) कृपया इस बात को नोट किया जाए यदि सदस्य के वेतन से समय पर कटौती नहीं की जाती तो नियोक्ता को दोनों के भाग की राशि स्वयं जमा करानी होगी, क्योंकि कर्मचारी के बाद के वेतन से पहले के बकाया अंशदान की कटौती निषेध है केवल उन मामलों को छोड़कर जहां से वसूली समय पर अकस्मात गलती अथवा लिपिकीय गलती के कारण नहीं हो सकी।

5. उल्लिखित लेखा संख्या 1,2, व 10 में जमा कराने के अतिरिक्त आपसे यह भी अपेक्षित है कि आप कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बी योजना, 1976 के अन्तर्गत अंशदान और प्रशासन प्रभार लेखा संख्या 21 और 22 में प्रत्येक माह की समाप्ति के 15 दिनों के अन्दर निम्नलिखित रुप से जमा करायें।

(अ) **निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि लेखा संख्या 21**- इस लेखे में अंशदान की दर नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को अदा किए जाने वाला मूल वेतन, मंहगाई भत्ता जिसमें खाद्य मूल्य से खाद्य रियायत और प्रतिधारण भत्ता यदि कोई हो, की कुल राशि को 0.5% होगा।

(ब) **क्षेत्रीय बीमा निधि प्रशासकीय लेखा संख्या 22**- इस लेख में प्रशासकीय प्रभार की दर नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को अदा किए जाने वाले मूल वेतन, मंहगाई भत्ता जिसमें खाद्य मूल्य सम्बन्धी रियायत और प्रतिधारण भत्ता यदि कोई है, की कुल राशि का 0.01% होगा।

उपरोक्त लेखों अर्थात 1, 2, 10, 21 और 22 में राशि चालान के माध्यम से जमा कराई जायेगी और बैंक से प्राप्त चालानों की तीन प्रतियां फार्म संख्या 12 क(संशोधित) (नीचे उल्लिखित) के साथ इस कार्यालय को भेजी जानी चाहिए।

6. **आपसे यह अपेक्षित है कि आप निम्नलिखित रिटर्न तैयार/प्रेषित करे:**

(1) **क0 भ0 नि0 स्कीम, 1952 के अन्तर्गत फार्म सं0 9 तथा पे0 स्कीम, 1995** -ये रिटर्न केवल कर्मचारियों के सम्बन्ध में इस कार्यालय में केवल एक बार जमा करानी होती है जिन्हें फैक्ट्री/स्थापना को स्कीम के कार्यक्षेत्र में लाने की तिथि से सदस्य बनाया जाना अपेक्षित है या सदस्य बनने के पात्र हो गए हैं।

(2) **क0 भ0 नि0 स्कीम और पे0 निधि के अन्तर्गत फार्म संख्या 2** - ये फार्म प्रत्येक सदस्य से दो प्रतियों में प्राप्त कर इस कार्यालय को भेजे जाने होते है।

(3) **फार्म सं0 5-क** - ये दो प्रतियों में इस कार्यालय को भेजे जाने चाहिए। मालिकों में किसी भी प्रकार का बाद मे परिवर्तन आने पर इस फार्म के माध्यम से इस कार्यालय को सूचित किया जाना चाहिए।

(4) **फार्म सं0 3ए** - ये फार्म प्रत्येक सदस्य / कर्मचारी से सम्बन्धित फार्म है जिसे फैक्ट्री/ स्थापना में ही रखा जाना चाहिए इस फार्म में भ0 नि0 में किए अंशदान की प्रतिमाह प्रविष्टि करनी होती है।

(5) **फार्म सं0 6ए** - यह अंशदान की वार्षिक विवरणी है और इसे प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 30 दिनों के भीतर फार्म-3ए के साथ (फरवरी, माह से सम्बन्धित अन्तिम अंशदान प्रत्येक वर्ष मार्च से अदा किया गया दिखाया जाना चाहिए) इस कार्यालय को प्रस्तुत करना होता है।

(6) **फार्म सं0 12ए** - यह अंशदान का मासिक रिर्टन फार्म है, जिसे प्रत्येक अगले माह की 25 तारीख तक इस कार्यलय को प्रस्तुत करना होता है। भारतीय स्टेट बैंक में जमा करायी गई राशि के सम्बन्धित चालान की तृतीय प्रति इसके साथ संलग्न कराई जानी चाहिए।

(7) **फार्म सं0 5 और 10** - यह उन कर्मचारियों से सम्बन्धित रिटर्न है जो महा के दौरान नए सदस्य बनाए जाते हैं या नौकरी छोड जाते हैं और अगले माह की 25 तारीख तक मासिक रिटर्न के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत करना होता है।

7. कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952, पेंशन निधि योजना, 1995 और निक्षेप सहबद्ध योजना 1976 से सम्बन्धित सभी निर्धारित फार्म भविष्य निधि कार्यालय में उपलब्ध हैं और इन्हें निःशुल्क आपका मांगपत्र प्राप्त होने पर दिया जाता है। नमूना फार्म संलग्न है।

8. पेंशन निधि अंशदान के सम्बन्ध में इन्हें कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान से अलग किया जाना चाहिए और सम्बन्धित फार्मों में अलग से दिखाकर .... केवल इस माह से लेखा सं0 10 में जमा कराया जाना होता है।

9. कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा से सम्बन्धित 01/11/10 से 30/11/10 की बकाया राशि 15/12/10 को या इससे पूर्व जमा कराना होता है।

10. यदि इस योजना को लागू करते समय फार्म सं0 9 दिखाए गए कर्मचारी स्थापना की निजी भविष्य निधि स्कीम के सदस्य थे तो उनके खाते में जमा भविष्य निधि की राशि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा रखे जा रहे कर्मचारी भविष्य निधि लेखा सं0 1 में निर्धारित चालानों में जमा करायी जानी चाहिए और चालान की तृतीय प्रति इस कार्यालय को भेजनी चाहिए। भविष्य निधि में निवेश की गई समस्त राशि के सम्बन्धित सभी प्रतिभूतियों को चार माह के अन्दर केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि के पक्ष में हस्तान्तरण कर दिया जाना चाहिए और हस्तांतरित की गई इन प्रतिभूतियों को इस कार्यालय को भेज दिया जाना चाहिए। राशि के अन्तरण के सम्बन्ध में दिए गए निर्देशों से सम्बन्धित नोट संलग्न किया जा रहा है निजी भविष्य निधि के लेखो में उपलब्ध रोकड़ को इस पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर अन्तरण कर दिया जाना चाहिए अन्यथा निर्धारित तिथि के बाद रोकड़ अन्तरण करने के लिए आपको निर्धारित दर से शास्तिक नुकसानी अदा करनी होगी।

कृपया पत्र रसीद भिजवाने की व्यवस्था करें।

(M. P. Singh)
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त
मेरठ

प्रतिलिपि:

1. श्री / श्रीमती Ajay Agarwal .... प्रर्वतन अधिकारी/सेवा केन्द्र को अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रेषित की जाती है, उनसे यह भी अनुरोध किया जाता है कि स्थापना से सम्बन्धित फार्म-5-क की दो प्रतियां स्थापना से प्राप्त करें। कृपया एक माह के भीतर अन्तिम आवृत सम्बन्धी आख्या अवश्य दें।
2. लेखा अनुभाग, उपक्षेत्रीय कार्यालय .... (X यह समझा जाता है कि इस फैक्ट्री/ स्थापना के पास भविष्य निधि से सम्बन्धित ऐसी उपलब्ध है/नहीं है, जिसे कर्मचारी भविष्य निधि को अन्तरित किया जाना है। इस ग्रुप द्वारा रखे जा रहे अंशदान रजिस्टर में आवश्यक अभ्युक्तियों के साथ नोट किया जाए)
3. ई0 डी0 पी0 सैल।
4. क्षे0 भ0 नि0, सर्वोदय नगर कानपुर।
5. राज्य कर्मचारी बीमा निगम कार्यालय, सर्वोदय नगर, कानपुर

(M. P. Singh)
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त